संख्या-14/2015/6-ई.एम./2000-का-4-2015

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 09 दिसम्बर, 2015

विषय:-सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के समान परिवहन विभाग के राजकीय परिवहन चालकों को शासकीय व्यय पर न्यायालय में चल रहे वादों के प्रतिवाद की सुविधा।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या-1297/47-का-4-90-4-ई.एम./90, दिनांक 28.11.1990 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश केवल परिवहन विभाग के लिए निर्गत किया गया है।

2. कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार यह मांग की जा रही है कि उक्त शासनादेश की व्यवस्था सभी विभगों में लागू की जाय।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 28.11.1990 को सभी विभागों के सरकारी वाहन चालकों के संबंध में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त शासनादेश दिनांक 28.11.1990 द्वारा जो व्यवस्था केवल परिवहन विभाग के वाहन चालकों को अनुमन्य थी, वह अब समस्त विभागों के सरकारी वाहन चालकों के विषय में लागू होगी।

कृपया उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in